

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
शिक्षा विभाग (राज.)
विषय— सम्मानजनक जाति/नाम प्रमाणन की संख्या में।
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1996 की धारा 136

प्राथमिक शिक्षा विभाग-2025
बलिया जिले के शिक्षा विभाग
तारीख सेवा प्रदाता सेवा प्रदाता दिनांक 11/10/25

अनुयाय श्री उदा पिता/पति श्री श्रीमा
पनाम

राज्य सरकार जारिये तहरीरदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुयायन में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री उदा पिता/पति
श्रीमा निवासी नेतागढ़ जामली का/की हूँ/हैं।

मेरे/हमारे पटवार हल्का नेतागढ़ जामली राजस्व ग्राम ठाठण में खाता संख्या 19
किला 2 संख्या 039 है, भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम उपखण्ड दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में उदा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम उपखण्ड के बजाय उदा दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक / /2025


हरिताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का नेतागढ़ जामली

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री उदा पिता/पति श्रीमा निवासी


नेतागढ़ जामली राजस्व ग्राम ठाठण पटवार हल्का नेतागढ़ जामली माबन्दी

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में उदा उपखण्ड दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हरताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

उदा उपखण्ड दर्ज करवाने की कृपा

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर गूअनि


11/10/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/13

दिनांक-11/10/2025

प्रेषित

धामन उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ़

महोदय

निवेदन है कि पार्थी/प्रार्थीयान श्री उदा पिता/पत्नि जीमा निवासी उदा पटवार हल्का नेतागढ़ पापनी राजस्व क्रमांक 2160 में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 19 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम उदा उर्फ उदपलान किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम उदा उर्फ उदपलान का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है आ जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

11/10/25

तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/614

दिनांक-31/10/2025

निमित्त

पटवार हल्का नेतागढ़ पापनी

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री उदा पिता/पत्नि जीमा राजस्व ग्राम 6160 पटवार हल्का नेतागढ़ पापनी की खाता संख्या 19 में जाति/नाम उदा उर्फ उदपलान दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री उदा पिता/पत्नि जीमा की जाति/नाम उदा उर्फ उदपलान एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का नेतागढ़ पापनी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करें।